

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

झापांक 2668/विधि

सहरसा, दिनांक 13-9-2023

प्रतिलिपि:- समाहर्ता / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आबिट्रिशन वाद सं०-137/2021 में दिनांक-12.09.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

अनुलग्नकें यथोपरि।

प्रतिलिपि:- परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई०, बेगूसराय द्वारा अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संजय कुमार झा व राजीव कुमार झा व रंजीत कुमार झा सभी पिता-स्व० सत्येन्द्र झा, सा०-पट्टाहा, थाना व जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

(२)

प्रभारी पदाधिकारी विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित														
12/09/2023	<p style="text-align: center;">आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p style="text-align: center;">आबिट्रिशन वाद संख्या:-137/2021</p> <p style="text-align: center;">संजय कुमार झा व अन्य.....आवेदनकर्ता</p> <p style="text-align: center;">-बनाम-</p> <p style="text-align: center;">राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट</p> <p style="text-align: center;">--: आदेश :-</p> <p>प्रस्तुत आबिट्रिशन वाद संजय कुमार झा व राजीव कुमार झा व रंजीत कुमार झा तीनों पिता-स्व० सत्येन्द्र झा, सभी सा०-पट्टाआहा में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-107 (महेशखुट-सोनवर्षा राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णियाँ (खण्ड तक) सड़क के लिए अर्जित किये जाने तथा भूमि का किस्म "कृषि" निर्धारित करते हुए उचित प्रतिकर का निर्धारण नहीं किये जाने के विरुद्ध दायर किया गया है। वादगत भूमि तथा निर्धारित मुआवजा का विवरण निम्नवत है :-</p> <table border="1" data-bbox="279 996 1300 1220"> <thead> <tr> <th>मौजा/थाना नं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>भूमि की प्रकृति</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> <th>कुल मुआवजा</th> <th>अभ्युक्ति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पट्टाआहा/ 187</td> <td>291</td> <td>387</td> <td>कृषि</td> <td>0.1208</td> <td>17,06,414,76</td> <td>पंचाट सं०-05 के अनुसार</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक की ओर से दाखिल वादपत्र एवं लिखित बहस में उनका मूल रूप से कहना है कि जिला भू-अर्जन कार्यालय, सहरसा के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-107 के चौड़ीकरण हेतु उनकी उपरोक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया। इसके लिए दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित गजट में उक्त भूमि का किस्म "कृषि" दर्शाया गया एवं इसके निश्चत वाद सं०-13/2019-20 पंचाट सं०-05 आवेदकगण के नाम से प्रकाशित करते हुए नोटिस निर्गत कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3G के तहत वर्णित भूमि का अधिनिर्णय घोषित कर प्रतिकर का अभिनिर्धारण करते हुए आवेदकगण को सूचना दी गई। आवेदकगणों का कहना है कि वादगत भूमि NH-107 मुख्य सड़क से सटा हुआ है और वहाँ उसके अगल-बगल में गैस गोदाम, मारुति शो रूम, महिन्द्रा शो रूम आदि व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं। जिस कारण उक्त भूमि भी व्यवसायिक श्रेणी की भूमि है। उनके अनुसार</p>	मौजा/थाना नं०	खाता सं०	खेसरा सं०	भूमि की प्रकृति	रकबा (एकड़ में)	कुल मुआवजा	अभ्युक्ति	पट्टाआहा/ 187	291	387	कृषि	0.1208	17,06,414,76	पंचाट सं०-05 के अनुसार	
मौजा/थाना नं०	खाता सं०	खेसरा सं०	भूमि की प्रकृति	रकबा (एकड़ में)	कुल मुआवजा	अभ्युक्ति										
पट्टाआहा/ 187	291	387	कृषि	0.1208	17,06,414,76	पंचाट सं०-05 के अनुसार										

Signature

क व्यवसायिक क्रिस्म के अनुसार 4,90,000/-रु0 प्रति डिसमिल निर्धारित है। आवेदकगणों के द्वारा बताया गया कि उनकी उपरोक्त अधिग्रहित भूमि को उन्होंने बजरिये केवाला दस्तावेज सं0-6650 दिनांक 17.06.2015 तथा दस्तावेज सं0-6979 दिनांक 23.06.2015 से खरीदा तथा उस समय निबंधन कार्यालय के द्वारा भूमि का क्रिस्म "आवासीय" पाते हुए उसी दर से स्टाम्प लिया गया। लेकिन उनके नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत की व्यवसायिक श्रेणी की जमीन को गलत ढंग से कृषि भूमि दर्शाया गया वो कृषि भूमि का दर निर्धारण किया गया, जो सरासर गलत एवं नाजायज है। विपक्षीगणों के द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर में किये गये दावा कि "गजट नोटिफिकेशन 06 सदस्यीय कमिटी CALA के द्वारा जाँच रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित हुआ" के संबंध में आवेदकगणों का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा C.W.J.C.No. 15642/2018 में वर्ष 2022 में पारित जजमेंट के आलोक में यह स्पष्ट किया गया है कि छः सदस्यीय कमिटी के प्रतिवेदन को अंतिम आधार नहीं माना जा सकता है। उक्त आदेश में जिला पदाधिकारी को आवेदकों के द्वारा अन्य साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर विचारोपरान्त उचित मुआवजा निर्धारित करने का आदेश दिया गया है। आवेदकगणों का कहना है कि इस वाद में भी छः सदस्यीय समिति के द्वारा बिना स्थल जाँच किये गलत ढंग से प्रश्नगत जमीन को "कृषि" क्रिस्म निर्धारित कर पंचाट बनाया गया है। तदालोक में उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन को व्यवसायिक क्रिस्म का करार देकर मुआवजा भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 882-2 दिनांक 25.05.2022 द्वारा वादगत भूमि के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3A तथा 3D के तहत प्रकाशित अधिसूचना में वादगत खेसरा 387 का क्रिस्म / प्रकृति "कृषि" दर्ज है। तत्पश्चात समाहर्ता, सहरसा के पत्रांक 817-2/भू0अ0, दिनांक 08.12.2020 के द्वारा गठित उचित प्रतिकर पनुर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा मौजा-पट्टुआहा/187 अन्तर्गत वादगत भूमि का स्थल निरीक्षणोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन (जो समाहर्ता, सहरसा द्वारा दिनांक 19.11.2018 को सम्पुष्ट है) में खेसरा सं0-387 के भूमि का क्रिस्म / प्रकृति "कृषि" दर्ज है। उक्त छः सदस्यीय समिति से प्राप्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में विहित रीति से मूल्य की गणना कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3G के तहत उक्त भूमि का संशोधित प्राक्कलन को NHAI के द्वारा

Qam'


प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में किये गये दावा के समर्थन में वर्णित भूमि के सम्परिवर्तन (Change in land use) से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा आवेदकों की उक्त अर्जित भूमि के किस्म परिवर्तन एवं तदनुसार मुआवजा से संबंधित आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकरण की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा जवाब दाखिल करते हुए उनका कहना है कि वादगत भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रकाशित गजट अधिसूचना-3(A) एवं 3(D) में भूमि का किस्म "कृषि" था। उक्त अधिसूचना में प्रकाशित किस्म "कृषि" के विरुद्ध आवेदकगणों के द्वारा दावा/आपत्ति किया गया, किन्तु छः सदस्यीय समिति के द्वारा पुनः जाँचोपरान्त उनके दावा/आपत्ति को अस्वीकृत कर दिया गया। समाहर्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति के स्थल निरीक्षण के क्रम में भी भूमि का किस्म "कृषि" पाये जाने के कारण उनके प्रतिवेदनानुसार वादगत भूमि के प्रतिकर का निर्धारण नियमानुसार किया गया, उनसे प्राप्त प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त आवेदक को प्रतिकर की राशि प्राप्त करने हेतु नोटिस किया गया। उनका कहना है कि आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के जिस आदेश का उल्लेख किया जा रहा है वह 3D के बाद छः सदस्यीय समिति की जाँच से संबंधित है, जो आवेदक का मामला नहीं है। उनके अनुसार अधिग्रहण के समय भूमि का किस्म विशुद्ध रूप से कृषि था, तदालोक में उनके द्वारा इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि RFCTLARR Act, 2013 की धारा-23 के अनुसार दिनांक 15.12.2020 को तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सहरसा की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय छः सदस्यीय समिति के द्वारा 3A अधिसूचना में प्रकाशित भूमि की किस्म कृषि के विरुद्ध आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में स्थल जाँचोपरान्त उनके दावा को अस्वीकृत करते हुए वर्तमान स्वरूप कृषि के आधार पर अद्यतन प्रवृत्त M.V.R में अंकित मूल्य के आधार पर RFCTLARR Act, 2013 एवं RFCTLARR Act, 2014 के प्रावधानानुसार प्रश्नगत भूमि का उचित मुआवजा प्रतिकर की गणना कर NH Act, 1956 के प्रावधानों के तहत भुगतान की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। तदालोक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा

Qam


है, जो नियमानुकूल है। आवेदक प्रश्नगत भूमि के व्यवसायिक प्रकृति के होने तथा व्यवसायिक उपयोग होने को साबित करने में असमर्थ रहे हैं। उक्त के आलोक में निर्धारित प्रतिकर की राशि को पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। इसी के साथ आवेदक के दावा को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजे।


12/9/23

आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।


आयुक्त 12/9/23

कोशी प्रमंडल, सहरसा।